



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



डॉ. राजेश्वर सिंह
Dr. Rajeshwar Singh
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
ई-मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक: 006/Estt./N.C.C./2023/14/ 813
दिनांक: 21.04.2023

कार्यालयादेश

एनसीसी अधिनियमों और नियमों 1949 के नियम 13 एवं कमांडिंग अधिकारी, 21 MAH BN NCC, वर्धा से प्राप्त पत्र क्रमांक 21Bn/Trg/407/Enrolment दिनांक 12.04.2023 के अनुसार, विश्वविद्यालय में पूर्ण स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एनसीसी इकाई के आवंटन की स्वीकृति के आलोक में डॉ. अनिकेत अनिल आंबेकर, सहायक प्रोफेसर को Care Taker Officer (CTO) पद पर नियुक्त किया जाता है 1

इस हेतु एनसीसी नियमानुसार इनको राशि रू. 1500/- प्रति माह मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। भविष्य में Care Taker Officer (CTO) के प्रशिक्षण उपरांत डॉ. अनिकेत अनिल आंबेकर को Associate NCC Officer (ANO) के रूप में पदस्थ किया जाएगा। इस हेतु ANO (LT) को राशि रू. 1500/- के स्थान पर नियमानुसार राशि रू. 2000/- प्रति माह मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु देय व्यय का भुगतान भी विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

(डॉ. राजेश्वर सिंह)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ
4. अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
5. कमांडिंग अधिकारी, 21 MAH BN NCC, वर्धा
6. कुलसचिव कार्यालय
7. वित्ताधिकारी कार्यालय (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
8. लीला प्रभारी
9. रक्षित पत्रावली।

ZINCCWARDHA@GMAIL.COM